

राजस्व वाद संख्या- 17/2017
गणेश आदि बनाम अमर सिंह आदि
निर्णय दिनांक- 10.11.23
बुहाना जिला झुंझुनू

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.- 17/2017

1. गणेश पुत्र गंगासहाय उम्र 70 वर्ष
2. सुरजभान पुत्र गंगासहाय उम्र 65 वर्ष
3. महेन्द्र सिंह पुत्र गणेश उम्र 35 वर्ष
4. विजय देवी पत्नी निरपाल उम्र 30 वर्ष समस्त जाति अहिरान नि० निहालोड त० बुहाना जिला झुंझुनू राज०

..... वादीगण

बनाम

1. अमर सिंह पुत्र ओंकार उम्र 45 वर्ष
 2. भूप सिंह पुत्र ओंकार उम्र 50 वर्ष
 3. शिवताज पुत्र ओंकार उम्र 35 वर्ष
 4. रामू पुत्र गंगासहाय उम्र 80 वर्ष
 5. कंवर सिंह पुत्र मंगला उम्र 55 वर्ष
 6. वेदप्रकास पुत्र मंगला उम्र 40 वर्ष
 7. बुधराम पुत्र लालमण उम्र 75 वर्ष
 8. पुनम पत्नी जलदीप उम्र 30 वर्ष
 9. कैलास पुत्र मंगला उम्र 45 वर्ष समस्त जाति अहिरान नि० निहालोड त० बुहाना जिला झुंझुनू राज०
 10. भूमिधारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना त० बुहाना जिला झुंझुनू राज०
- प्रतिवादीगण



दावा -खाता विभाजन
-:: निर्णय ::-

वादीगण की और से वाद पत्र निम्न प्रकार सेवा मे पेश है -

दिनांक :- 10.11.23

1. यह कि ग्राम निहालोड त० बुहाना स्थित भूमि हाल ख० न० 26 रकबा 0.18 है० ख० न० 27 रकबा 0.29 है० ख० न० 28 रकबा 0.07 है० ख० न० 29 रकबा 0.19 है० ख० न० 63 रकबा 0.31 है० ख० न० 64 रकबा 0.35 है० ख० न० 66 रकबा 0.29 है० ख० न० 92 रकबा 0.24 है० ख० न० 253 रकबा 0.28 है० ख० न० 254 रकबा 0.28 है०

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

ख0 न0 255 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.20 है0 ख0 न0 260 रकबा 0.21 है0 ख0 न0 271 रकबा 0.46 है0 ख0 न0 272 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 273 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 274 रकबा 0.52 है0 ख0 न0 275 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 276 रकबा 0.14 है0 ख0 न0 277 रकबा 0.39 है0 ख0 न0 278 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 279 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 282 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 283 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 292 रकबा 0.45 है0 ख0 न0 389 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 390 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 398 रकबा 0.18 है0 ख0 न0 399 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 536 रकबा 0.13 है0 ख0 न0 541 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 557 रकबा 0.43 है0 ख0 न0 558 रकबा 0.04 है0 ख0 न0 559 रकबा 0.05 है0 ख0 न0 561 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 563 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 709 0.41 है0 ख0 न0 710 रकबा 1.23 है0 ख0 न0 8987 रकबा 0.04 है0 कुल किता 39 कुल रकबा 11.65 है0 के खातेदार कास्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 10 है व प्रतिवादी सं0 11 के अधिन संयुक्त रूप से दर्ज रिकार्ड है।

2. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादी सं0 4 व वादीगण सं0 3 व 4 का विक्रेता भयोसहाय संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के खातेदार कास्तकार दर्ज रिकार्ड है यानि उपरोक्त वर्णित भूमि में से उक्त भयोसहाय ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/12 वादी सं0 3 व 4 को विक्रय कर दिया था इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण सं0 1 व 2 का प्रत्येक का 1/12, 1/12 हिस्सा है तथा वादीगण सं0 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा व प्रत्येक का 1/24, 1/24 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण सं0. 1 व 3 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 4 का 1/12 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 5 व 6 का 2/27 हिस्सा व प्रतिवादीगण सं0 7 का 2/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 9 का 28/1165 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं0 10 का 409/31455 हिस्सा है उपरोक्त समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 10 उपरोक्त वर्णित भूमि पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज का त है प्रतिवादी सं0 7 का सगा भाई फूलसिंह का अविवाहित नाओलाद देहान्त हो गया है।
3. यह कि उपरोक्त वर्णित भूमि संयुक्त रूप से होने से वादीगण को अपने हिस्से की उपरोक्त भूमि कास्त करने व उसमें संधार कार्य करने में तथा अपने हिस्से की भूमि पर ऋण आदि लेने में भारी असुविधा हो रही है।
4. यह कि वादीगण ने गत दिनों प्रतिवादी सं0 1 से 10 को विवादित भूमि का खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादीगण खाता विभाजन करवाने को साफ-साफ इंकार हो गये इसलिये वादीगण को यह दावा पे । करना आव यक हुआ।
5. यह कि दावे के लिए आधसार विवाद प्रतिवादीगण द्वारा विवादीत भूमि का विभाजन करवाने गत दिनों विभाजन करवाने से इंकार करने से पैदा हुआ है इसलिये दावा सावधि पेश है। और खाता विभाजन के लिए कानून में कोई मियाद भी निर्धारित नही है।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

6. यह कि विवादित भूमि ग्राम निहालोठ त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित है जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार में आती है। इसलिये न्यायालय श्रीमानजी को उक्त वादपत्र की सुनवाई बाबत क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
7. यह कि प्रतिवादी सं0 11 आवश्यक पक्षकार है इसलिये प्रतिवादी सं0 11 को पक्षकार बनाया गया है।
8. यह कि दावा राजस्थान टीनेन्शी एक्ट 1955 की धारा 53 सपटित तृतीय अनुसूची के अनुसार एक रुपया कोर्ट फीस पर पेश है।
9. यह कि दावा द्वितीय प्रति सहित पेश है तथा दावे के साथ विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड की अपटुडेट नकल प्रस्तुत है जिसके समर्थन में वाद पत्र वादी पेश है।
अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि -

(क) कि वाके ग्राम निहालोठ त0 बुहाना स्थित भूमि हाल ख0 न0 26 रकबा 0.18 है0 ख0 न0 27 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 28 रकबा 0.07 है0 ख0 न0 29 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 63 रकबा 0.31 है0 ख0 न0 64 रकबा 0.35 है0 ख0 न0 66 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 92 रकबा 0.24 है0 ख0 न0 253 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 254 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.20 है0 ख0 न0 260 रकबा 0.21 है0 ख0 न0 271 रकबा 0.46 है0 ख0 न0 272 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 273 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 274 रकबा 0.52 है0 ख0 न0 275 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 276 रकबा 0.14 है0 ख0 न0 277 रकबा 0.39 है0 ख0 न0 278 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 279 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 282 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 283 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 292 रकबा 0.45 है0 ख0 न0 389 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 390 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 398 रकबा 0.18 है0 ख0 न0 399 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 536 रकबा 0.13 है0 ख0 न0 541 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 557 रकबा 0.43 है0 ख0 न0 558 रकबा 0.04 है0 ख0 न0 559 रकबा 0.05 है0 ख0 न0 561 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 563 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 709 0.41 है0 ख0 न0 710 रकबा 1.23 है0 ख0 न0 8987 रकबा 0.04 है0 कुल किता 39 कुल रकबा 11.65 है0 में वादी सं0 1 के 1/12 हिस्सा वादी सं0 2 का 1/12 हिस्सा व वादी सं0 3 का 1/24 हिस्सा तथा वादीया सं0 4 का 1/24 हिस्सा का खाता अलहेदा कर अलग लगान कायम कर खाता विभाजन कर इसी प्रकार नामान्तरण दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे। दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 ने स्वयं उपस्थित होकर लिखित पेश किया कि हमारे भी खाता विभाजन किया जावे। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण बाबजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल नक्शा किस्तवार, नकल नक्शा किस्तवार, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069-72, नकल पेश किए गए।

- (4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 11.06.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रजात रिपोर्ट दिनांक 01.08.2022 को प्राप्त हुई। वादी ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

निवेदन किये हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत हैं।
मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन
किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

—: आदेश :-

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 का खाता व लगान विभाजन, को डिक्री किया
जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम निहालोठ तह बुहाना स्थित भूमि हाल ख0 न0 26 रकबा
0.18 है0 ख0 न0 27 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 28 रकबा 0.07 है0 ख0 न0 29 रकबा 0.19 है0 ख0
न0 63 रकबा 0.31 है0 ख0 न0 64 रकबा 0.35 है0 ख0 न0 66 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 92 रकबा
0.24 है0 ख0 न0 253 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 254 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.25 है0
ख0 न0 259 रकबा 0.20 है0 ख0 न0 260 रकबा 0.21 है0 ख0 न0 271 रकबा 0.46 है0 ख0 न0
272 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 273 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 274 रकबा 0.52 है0 ख0 न0 275 रकबा
0.47 है0 ख0 न0 276 रकबा 0.14 है0 ख0 न0 277 रकबा 0.39 है0 ख0 न0 278 रकबा 0.33 है0
ख0 न0 279 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 282 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 283 रकबा 0.55 है0 ख0 न0
292 रकबा 0.45 है0 ख0 न0 389 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 390 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 398 रकबा
0.18 है0 ख0 न0 399 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 536 रकबा 0.13 है0 ख0 न0 541 रकबा 0.58 है0
ख0 न0 557 रकबा 0.43 है0 ख0 न0 558 रकबा 0.04 है0 ख0 न0 559 रकबा 0.05 है0 ख0 न0
561 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 563 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 709 0.41 है0 ख0 न0 710 रकबा 1.23
है0 ख0 न0 8987 रकबा 0.04 है0 कुल किता 39 कुल रकबा 11.65 है0 भूमि का खाता एवं लगान
विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व
नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से
प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग-अलग खाता
कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है।
विभाजन प्रस्ताव "अ-1 लगायत अ-5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग
रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो
सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज
किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

पदेन सहायक अधीक्षक बुहाना

निर्णय आज दिनांक 10.11.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय
के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
पदेन सहायक अधीक्षक बुहाना



मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्डुनू (राज.)

पिठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.-17/2017

निर्णय दिनांक:- 10.11.23

गणेश आदि बनाम अमरसिंह आदि
दावा बाबत- खाता विभाजन

वादी की ओर से श्री कृष्ण कुमार लखेरा एडवोकेट व प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र यादव एडवोकेट की उपस्थिति में एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.11.23 को श्री सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि-

“ न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 का खाता व लगान विभाजन, को डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम निहालोठ तहसील बुहाना स्थित भूमि हाल ख0 न0 26 रकबा 0.18 है0 ख0 न0 27 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 28 रकबा 0.07 है0 ख0 न0 29 रकबा 0.19 है0 ख0 न0 63 रकबा 0.31 है0 ख0 न0 64 रकबा 0.35 है0 ख0 न0 66 रकबा 0.29 है0 ख0 न0 92 रकबा 0.24 है0 ख0 न0 253 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 254 रकबा 0.28 है0 ख0 न0 255 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 259 रकबा 0.20 है0 ख0 न0 260 रकबा 0.21 है0 ख0 न0 271 रकबा 0.46 है0 ख0 न0 272 रकबा 0.25 है0 ख0 न0 273 रकबा 0.22 है0 ख0 न0 274 रकबा 0.52 है0 ख0 न0 275 रकबा 0.47 है0 ख0 न0 276 रकबा 0.14 है0 ख0 न0 277 रकबा 0.39 है0 ख0 न0 278 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 279 रकबा 0.33 है0 ख0 न0 282 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 283 रकबा 0.55 है0 ख0 न0 292 रकबा 0.45 है0 ख0 न0 389 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 390 रकबा 0.08 है0 ख0 न0 398 रकबा 0.18 है0 ख0 न0 399 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 536 रकबा 0.13 है0 ख0 न0 541 रकबा 0.58 है0 ख0 न0 557 रकबा 0.43 है0 ख0 न0 558 रकबा 0.04 है0 ख0 न0 559 रकबा 0.05 है0 ख0 न0 561 रकबा 0.17 है0 ख0 न0 563 रकबा 0.23 है0 ख0 न0 709 रकबा 0.41 है0 ख0 न0 710 रकबा 1.23 है0 ख0 न0 8987 रकबा 0.04 है0 कुल किता 39 कुल रकबा 11.65 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” के अलग-अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग-अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव “अ-1 लगायत अ-5” व नक्शा प्रदर्श “ब” इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। “

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 10.11.23 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी बहाना
पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना
जिला झुन्डुनू (राज.)